फर्द अहकाम

गणेश, वगै० बनाम रामसहाय वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 73/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा वकील उभय पक्षों की नक्शाहिस्सा की गई। वकील उभय पक्ष द्वारा कुर्रेजात स्वीकार करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद को तकासमा हेतु निर्णित किया जाता है तथा वाद को बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया तथा शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कोर्ट शुमार होकर नक्शा से कम के तहत वाद होने दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18–21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 73/2023 — दायर दिनांक 15.02.2023

गणेश वगै0 — बनाम — रामसहाय वगैराह

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश — दिनांक 12.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री किशनलाल वादीगण अधिवक्ता व श्री पुष्पेन्द्र शर्मा प्रतिवादी अधिवक्ता निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगणों का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम हरिकिशनपुरा, पटवार मण्डल नायला, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 1.0000 है0, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.4400 है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.0000 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.4400 है0 व ग्राम नोन्दपुरा पटवार हल्का राहोरी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 471 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.2300 है0, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.1900है0, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.2400 है0, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.3700 है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं कब्जे को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 12/03/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर